

33/2022 शंकरलाल - मरेश कुमार

दिनांक	आज्ञा पत्र
20.6.24	<p>पत्रावली पेश। वकील अपीलान्ट एवं अपीलान्ट स्वयं को बार बार आवाज दिलाई गई न्यायालय समय सांयकाल 6 बजे तक बार बार दिनाई गई। इन्तजार किया गया उसके बावजूद अपीलान्ट एवं उनके अधिवक्ता अनुपस्थित रहे फलस्वरूप अपील अपीलान्ट अदम हाजरी एवं अदम बैरदी में खारिज की जाती है। निर्णय सरे इजलस सुनया गया। प्रकरण फैसल शुमार होकर नम्बर से कम होकर बाद तरतीब तकमील दाखिल दफतर हो।</p> <p>सू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी सीकर</p>